न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 64/2021 बउनवानी विनिता बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर पटवारी पटवार मण्डल,लहसोडा

GCMS No-2021/163

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. माह नवम्बर,2018 से फरवरी,2019 , अक्टूबर,2019 से दिसम्बर,2019 व जून,2020 से अगस्त,2020 तक का विनिता बैरवा पटवारी पटवार मण्डल लहसोडा का वेतन किन आदेशों व किन नियमों के अन्तर्गत रोका गया है आदेशो की प्रति व नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2021/6354 दिनांक 30.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2020 के में चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 5652 दिनांक 18.8.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 5652 दिनांक 18.8.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है " कि माह नवम्बर,2018 से फरवरी,2019, अक्टूबर,2019 से दिसम्बर,2019 व जून,2020 से अगस्त,2020 तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वेतन रोका गया था एवं उक्त अवधि का एल.डू.पी. हेतु प्रकरण तैयार कर भिजवाने पर जिला कलेक्टर के आदश क्रमांक 3257 दिनांक 25.6.2020 से उक्त अवधि का असाधारण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृत हो चुका है जिसका वतेन देय नही है।" यद्यपि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को चाही गयी सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है किन्तु अधिनियम की तय सीमा के पश्चात अवगत कराया गया है जो लोक सूचना अधिकारी की अधिनियम के प्रति लापरवाही दर्शाता है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश [illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested